फर्द अहकाम

प्रवण कुमार बनाम गौरव राज व अन्य

न्यायालय

संख्या 10/2021

प्रा.पत्र परिवाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/3/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/4/22 को पेश हो	
	6/4/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/4/22 को पेश हो	
	27/4/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/5/22 को पेश हो	
	13/5/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/5/22 को पेश हो	
	18/5/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 26/5/22 को पेश हो	
	26/5/22	प्रसाइ. ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/6/22 को पेश हो	
	16/6/22	व: प्रार्थी उपस्थित अधिवक्ता/ अप्रार्थी कोशया 3 ता. 11 उपस्थित/ अप्रार्थी कोशया 1 [illegible] को [illegible] बार-बार आवाज 5.00 बजे तक [illegible] कोकिल आवाज [illegible] अप्रार्थी कोशया 1 व 2 स्वयं या अधिवक्ता अनुपस्थित [illegible] उपस्थित अधिवक्ता/ओ उपप्रकारात के अधिवक्ता/ओ	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

फर्द आदेश

प्रवीण कुमार बनाम नारायण वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 10/2021 ग्रा०पंचा० पदमपुरगढ़

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया/ निर्णय पृथक से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया/ होकर पत्रावली फैसला अनुसार होकर 35 नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो/ [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 10/2021

उनवान

1. श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. नानूराम पुत्र छीतरमल,
2. लालचन्द पुत्र छीतरमल,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. रिछपाल पुत्र घासी,
4. रामेश्वर पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम,
5. गोपाल पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम,
6. भगवाना पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम,
7. देबू पुत्र पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम,
8. हरनाथ पुत्र पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम,
   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
9. संध्या देवी बांगड पत्नी राजकुमार बांगड,
10. विजय लक्ष्मी पत्नी विजय कुमार,
11. सुशीला देवी पत्नी श्रीकृष्ण,
    जाति समस्त महाजन, विधाधर नगर, जयपुर, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूँ, तहसील चौमूँ,, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, भू राजस्व अधिनियम,</u>

निर्णय दिनांक—16.06.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी की वाके ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2133 रकबा 0.80 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

उक्त वर्णित प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.11.2020 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौमूँ के आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/4072 दिनांक 22.10.2020 की पालना में ग्राम मोरीजा बी के खसरा नम्बर 2133 के सीमाज्ञान हेतु बहमराह पटवारी हल्का मोरीजा के साथ मौके पर मय राजस्व रिकार्ड पहुॅचे तथा ग्राम मोरीजा बी, तहसील चौमू के स्थित खसरा नम्बर 2011 गैर मुमकिन चाह सें जरीब चला कर खसरा नम्बर 2133 का दक्षिणी पश्चिमी कोना कायम करवाया गया तत्पचात् उक्त कोने से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 2133 का दक्षिणी पूर्वी कोना कायम किया गया, जिसे खसरा नम्बर 3741 गैर मु० चाह के मध्य से जरीब चलाकर पुख्ता किया गया। तत्पश्चात् खसरा नम्बर 2133 के दक्षिणी पश्चिमी कोने व खसरा नम्बर 2011 गै० मु० चाह के मध्य से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 2133 का व उत्तरी पश्चिमी कोना कायम करवाया गया। खसरा नम्बर 2133 का प्रार्थी का ... मौका तैयार किया गया। सभी पक्षकारान को समझाई गई तथा सीमाज्ञान ... रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के ... प्रार्थी स्वामी खसरा नम्बर की भूमि वर्णित मद नम्बर 1 की पत्थरगढी करवाना चाहता है, प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान के उपरान्त अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने हेतु दिनांक 05.12.2020 को मौके पर पत्थरगढी करवा रहा था, तो अचानक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 एकराय होकर आये तथा प्रार्थी को सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी नहीं करने दी हैं। जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश अप्रार्थी संख्या 12 को दिये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 11, 3, 4 ता 8 की ओर से पृथक–पृथक सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम मोरीजा–बीं, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 2136, 2137, 2139/10, 2139/3, 2139/7 कुल किता 5 का कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर स्थित है, उक्त खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 2136 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता है, तथा उक्त खसरा नम्बर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लगभग 50 वर्ष से रास्ते के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी के द्वारा उक्त वर्णित भूमि कुछ माह पूर्व खरीद की गई है, तथा खरीद करने के उपरान्त प्रार्थी की नियत हमेशा से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा किये जा रहे उपयोग, उपभोग में दखलन्दाजी करने व कब्जा करने की कोशिश की गई, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद नानूराम व अन्य बनाम श्रवण वगै० बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, जो कि श्रीमान के समक्ष लम्बित है, उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अन्य पड़ौसी खातेदारों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमण नहीं करने तथा सींव डोल की वर्तमान स्थिति कायम रखने हेतु पाबंद किया गया था। जिसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया, तथा षड़यत्रपूर्वक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की रास्ते की भूमि में अतिक्रमण करने की नियत से उक्त पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि में पत्थरगढ़ी हेतु आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहमति से दुबारा सीमाज्ञान करवाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है। जिस उपरान्त ही पत्थरगढ़ी के आदेश न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित किये जा सकते है, अन्यथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि में पत्थरगढ़ी हेतु प्रवेश किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होगा।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत उक्त प्रार्थना पत्र की पत्रावली को वाद नानूराम वगै0 बनाम श्रवण कुमार वगै0 के साथ कन्सोलीडेट करने बाबत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत कन्सोलीडेट करने बाबत पर सीधे बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत कन्सोलीडेट करने बाबत खारिज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 12.11.2020 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन / विवाद नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 12.11.2020 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **16.06.2022** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:35 IST
Reason: SelfAttested

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)